विचार प्रवाह

क्या हम बना पाए डॉ. अंबेडकर के सपनों का न्यायपूर्ण भारत?

समानता का सपना और आज का भारत: कितना आगे बढ़े हम?
शिक्षा, संघर्ष और सम्मान: अंबेडकर के विचारों की आधुनिक प्रासंगिकता

नीले आकाश में लहराते झंडे, सड़कों पर उमड़ती भीड़ और स्मारकों पर पुष्पांजलि–हर वर्ष अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल) का यह दृश्य राष्ट्रीय चेतना का उत्सव बन जाता है। लेकिन इस उत्सव के बीच एक गहरा प्रश्न खड़ा रहता है। क्या हम सच में उस भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका सपना डॉ. भीमराव अंबेडकर ने समानता, न्याय और सम्मान के आधार पर देखा था? आज विकास और तकनीक की प्रगति के बावजूद समाज में असमानता और अवसरों की दूरी क्यों बनी हुई है? यह विरोधाभास हमारी सामाजिक सच्चाई को उजागर करता है। अंबेडकर जयंती हमें श्रद्धांजलि से आगे आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है–संविधान केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवित सामाजिक संकल्प है, जिसे हर पीढ़ी को अपने आचरण से साकार करना होता है।

डॉ. अंबेडकर का जीवन संघर्ष, ज्ञान और आत्मसम्मान की एक प्रेरक गाथा है। ऐसे समाज में जन्म लेकर जहाँ पहचान जन्म से तय होती थी, उन्होंने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाया। देश-विदेश के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर उन्होंने साबित किया कि प्रतिभा किसी जाति या वर्ग की सीमाओं में बंधी नहीं होती। उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं था, बल्कि पूरी व्यवस्था को चुनौती देने वाली बौद्धिक क्रांति थी। उन्होंने जाति व्यवस्था को सामाजिक ढाँचे से अधिक मानव गरिमा पर आघात माना। आज भी आधुनिकता के इस दौर में भेदभाव के सूक्ष्म रूप उनके संघर्ष की याद दिलाते हैं। उनका जीवन स्पष्ट करता है कि परिवर्तन की शुरुआत विचारों से होती है, सुविधाओं से नहीं।

अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में उनके दूरदर्शी विचार हैं। वे केवल कानून निर्माता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के शिल्पकार थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अर्थहीन है जब तक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित न हो। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व केवल शब्द नहीं, बल्कि संतुलित समाज की नींव हैं। आज के भारत में डिजिटल क्रांति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच यह जरूरी है कि विकास का लाभ हर वर्ग तक समान रूप से पहुँचे। यदि सामाजिक असमानता बनी रहती है, तो संविधान की आत्मा अधूरी रह जाती है। उनका यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1950 में था।

शिक्षा को लेकर अंबेडकर की सोच अत्यंत क्रांतिकारी और दूरदर्शी थी। उनके अनुसार शिक्षा केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है। वे मानते थे कि शिक्षित व्यक्ति ही अपने अधिकारों को पहचान सकता है और अन्याय का विरोध कर सकता है। आज जब भारत डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कौशल विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब भी ग्रामीण और वंचित वर्ग की शिक्षा की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। शिक्षा का असमान वितरण उनके सपनों के भारत की राह में बड़ी बाधा है। उनका संदेश शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो आज भी युवाओं के लिए केवल नारा नहीं, बल्कि जीवन दर्शन होना चाहिए। शिक्षा ही वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है।

महिलाओं के अधिकारों पर अंबेडकर का दृष्टिकोण अत्यंत प्रगतिशील था। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक जैसे अधिकार दिलाने की मजबूत पैरवी की। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं जब तक उसकी आधी आबादी स्वतंत्र और सशक्त न हो। आज महिला सशक्तिकरण, समान वेतन और नेतृत्व में भागीदारी की बात होती है, जिससे स्पष्ट है कि अंबेडकर का दृष्टिकोण समय से आगे था। उन्होंने श्रमिकों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए भी लगातार संघर्ष किया। उनका विचार था कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन और सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए। यह सोच आज के आर्थिक विकास मॉडल को अधिक मानवीय बनाती है।

अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को लोकतंत्र की आत्मा माना। उनके अनुसार समाज तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक उसमें समान अवसर और सम्मान का भाव न हो। जाति आधारित असमानता को उन्होंने ग्रेडेड इनइक्वालिटी (स्तरबद्ध असमानता) कहा, जो समाज को भीतर से कमजोर करती है। आज के भारत में विविधता को शक्ति के रूप में स्वीकार करने का प्रयास उनके विचारों की आधुनिक व्याख्या है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह विविधता वास्तव में समानता में बदल पाई है? आज भी कई स्तरों पर भेदभाव और अवसरों की असमानता दिखाई देती है। अंबेडकर का संदेश स्पष्ट है–सच्चा लोकतंत्र वही है जहाँ अंतिम व्यक्ति भी समान अधिकारों के साथ खड़ा हो सके।

आज के भारत में जब हम वैश्विक मंच पर अपनी पहचान मजबूत कर रहे हैं, तब अंबेडकर की विरासत और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव तभी सार्थक हैं जब आंतरिक समाज मजबूत और समान हो। उनका दृष्टिकोण केवल राजनीतिक सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि एक नैतिक समाज की स्थापना का था। युवाओं के लिए उनका संदेश आज भी मार्गदर्शक है कि परिवर्तन केवल नीतियों से नहीं, बल्कि सोच से आता है। यदि नई पीढ़ी उनके विचारों को अपनाए, तो सामाजिक विभाजन कम किया जा सकता है। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जहाँ हर व्यक्ति सम्मान और अवसर के साथ आगे बढ़ सके।

अंबेडकर जयंती इतिहास को दोहराने का नहीं, बल्कि भविष्य को दिशा देने का क्षण है। यह केवल स्मरण का दिन नहीं, बल्कि आत्मचेतना को जगाने वाली पुकार है। यह हमें कठघरे में खड़ा करता है–क्या हम उस भारत की रचना कर पा रहे हैं, जिसका स्वप्न समानता और न्याय पर आधारित था, या फिर हम केवल औपचारिक श्रद्धांजलि में उलझे हुए हैं? 2026 का भारत प्रगति की तेज धारा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस धारा को सभी तक समान रूप से पहुँचाना अभी भी सबसे बड़ी परीक्षा है। अंबेडकर का संदेश आज भी उतना ही तीखा और स्पष्ट है–समानता ही स्वतंत्रता की असली शर्त है। यदि उनके विचार केवल स्मृति नहीं, बल्कि व्यवहार बन जाएँ, तो एक न्यायपूर्ण और सशक्त भारत कोई सपना नहीं रहेगा, बल्कि वास्तविकता बन जाएगा।

– कृति आरके जैन सृजनिका बड़वानी (मप्र)

20 को अक्षय तृतीया पर बिना मुहूर्त शादियां; 17 मई से फिर लगेगा ब्रेक

14 अप्रैल से खरमास खत्म, मांगलिक कार्य शुरू

इन्दौर। नवग्रहों के राजा सूर्य 14 अप्रैल को प्रात: 9:52 बजे मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करते ही खरमास की समाप्ति मानी जाती है। इसके साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी और लोग विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत जैसे शुभ कार्य कर सकेंगे।

14 मार्च की रात 11:59 बजे सूर्य ने कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश किया था। इस दौरान एक माह तक विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यों पर रोक रही।

पंडित अमर डिब्बेवाला के अनुसार, सूर्य के मेष राशि में प्रवेश को मेष संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। इस बार सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे उच्च स्थिति में माने जाते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल है। इस अवधि में आने वाले व्रत-त्योहार और शुभ मुहूर्तों का विशेष महत्व रहेगा, जिनके आधार पर विभिन्न संस्कारिक कार्य संपन्न किए जा सकेंगे।

सर्वार्थ सिद्धि योग में अक्षय तृतीया

20 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर देशभर में बिना मुहूर्त के विवाह होंगे। पंडित अमर डिब्बेवाला के अनुसार, पंचांग गणना के मुताबिक इस वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सोमवार, 20 अप्रैल को रोहिणी नक्षत्र में पड़ रही है। सोमवार के दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है, वहीं मध्य रात्रि में सोमवार के साथ मृगशिरा नक्षत्र का योग अमृत सिद्धि योग का निर्माण करता है। इस कारण अक्षय तृतीया इस बार विशेष पुण्यकाल वाली रहेगी। इस दिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के पूजन का विधान धर्मशास्त्रों में बताया गया है। साथ ही अक्षय तृतीया पर पितरों के निमित्त पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देता है और शुभ फल प्रदान करता है।

भगवान विष्णु और पितरों की कृपा के लिए करें घट दान

अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और पितरों की प्रसन्नता के लिए दो मिट्टी के घटों का पूजन करना शुभ माना जाता है। एक घट में जल भरकर उसमें जौ, चंदनु और पीले पुष्प डालकर भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। दूसरे घट में काले तिल, चंदन, कच्चा दूध और सफेद पुष्प डालकर पितरों का स्मरण किया जाता है। इसके बाद दोनों घटों का संकल्प लेकर ब्राह्मणों के माध्यम से दान किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की तृप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इससे संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों को संतान सुख मिलता है और जिनके संतान हैं, उनकी आयु व कल्याण में वृद्धि होती है।

17 मई से पुरुषोत्तम अधिक मास की शुरुआत

पंचांग गणना के अनुसार, इस वर्ष 17 मई से पुरुषोत्तम अधिक मास की शुरुआत होगी, जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आएगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस पूरे महीने में धार्मिक अनुष्ठान, सत्संग, तीर्थ यात्रा और कल्पवास जैसे कार्यों का विशेष महत्व रहेगा। यह अवधि 15 जून तक चलेगी। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश सहित सभी मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी।

विद्योतमा साहित्य फाउंडेशन का शपथ विधि एवं काव्य समारोह संपन्न

इंदौर। राष्ट्रीय स्तर की विद्योतमा साहित्य फाउंडेशन इंदौर इकाई का शानदार साहित्यिक अनुष्ठान हिंदी साहित्य समिति के पुस्तकालय कक्ष में बड़े उल्लास और उमंग के साथ संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन के निदेशक मुकेश जोशी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सुबोध मिश्र नासिक(महाराष्ट्र) ने की। विशेष अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार हरिराम बाजपेई, मातृभाषा उन्नयन संस्थान के अध्यक्ष डॉ अर्पण जैन अविचल, विचार प्रवाह के अध्यक्ष मुकेश तिवारी मंचाचीन थे। मां शारदा की वंदना डॉक्टर शशि निगम ने प्रस्तुत की। अतिथियों का स्वागत विद्योत्तमा साहित्य फाउंडेशन इंदौर इकाई के संरक्षक डॉक्टर अखिलेश राव और इंदौर इकाई के अध्यक्ष साहित्यकार दिनेश तिवारी उपवन ने किया। स्वागत भाषण विद्योत्तमा के संरक्षक डॉक्टर अखिलेश राव ने दिया। कार्यक्रम में अतिथियों का वृक्ष दूत और प्रकृति प्रेमी राजेश मकवाने ने फलदार पौधे वितरित किए।

कार्यक्रम को डॉक्टर सुधारज चौहान, डॉक्टर आरती दुबे ने भी संबोधित किया। विद्योत्तमा साहित्य फाउंडेशन इंदौर के सभी पदाधिकारियों को मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सुबोध मिश्र ने शपथ दिलाई। कवि गोष्ठी में शीला चंदन, विनीता चौहान, कल्याणी गुप्ता, डॉ पूनम विशाल, संध्या बाईवार, तेजकरण दुबे, डॉ पंकज जैन, अरुण अपेक्षित, उर्मिला रायकवार, सुब्रतो बोस ने प्रभावी तरीके से काव्य पाठ किया। संचालन कवयित्री स्वाति सिंह सोलंकी साहिबा ने कियाद विद्योतमा साहित्य फाउंडेशन के अध्यक्ष साहित्यकार दिनेश तिवारी उपवन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि विद्योतमा साहित्य फाउंडेशन की इंदौर इकाई शहर के और बाहर के नवोदित और पुराने रचनाकारों को हमेशा मंच प्रदान करती रहेगी। इस समाजसेवी की कमल तिवारी, सुनील चौधरी, श्याम सिंह , श्रीमती इंदु जैन, नितेंद्र मानव, सीडी भालेराव उपस्थित थे।

रामेश्वर पटेल बाबूजी की पुण्यतिथि पर भजन संध्या आयोजित

इंदौर। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री रामेश्वर जी पटेल बाबूजी की पुण्यतिथि के अवसर पर बिचोली मर्दाना स्थित विद्यासागर स्कूल परिसर में भव्य श्रद्धांजलि सभा, भजन संध्या और स्नेह भोज का आयोजन किया गया। खाटू श्याम जी की भजन संध्या और सम्मान समारोह बाबूजी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत खाटू श्याम जी की सुमधुर भजन संध्या के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबे नजर आए। इस अवसर पर एक विशेष सम्मान समारोह भी आयोजित किया

गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं और वरिष्ठ समाजसेवियों ने शिरकत की। इस दौरान आयोजकों द्वारा विपिन वानखेड़े (जिला कांग्रेस अध्यक्ष, ग्रामीण), विंटू चौकसे (शहर कांग्रेस अध्यक्ष), के.के. मिश्रा (वरिष्ठ कांग्रेस नेता), कृपाशंकर शुक्ला (वरिष्ठ नेता), राजेंद्र मालवीय (वरिष्ठ नेता), अनवर खान (वरिष्ठ नेता), राजेश शर्मा, जितेंद्र सिंह ठाकुर, रघु परमार, शक्ति सिंह मंहू, बंटी राठौड़, अनिल मिश्रा (वरिष्ठ नेता स्वर्गीय भगवती मिश्रा जी के सुपुत्र),) एवं अजय जैन (वरिष्ठ कांग्रेस नेता और स्वर्गीय ललित जैन जी के सुपुत्र) का स्वागत किया गया। कार्यक्रम राधेश्याम पटेल और सत्यनारायण पटेल के मार्गदर्शन और नेतृत्व में संपन्न हुआ। संचालन मदन परमालिया ने किया। आभार प्रदर्शन विनोद सत्यनारायण पटेल, चेतन चौधरी और राहुल पटेल द्वारा माना गया।

अधिवक्ता हर्षित शर्मा की प्रभावी पैरवी से शेष सजा निलंबित, जमानत मंजूर

धारा 302 के मामले में दोषसिद्ध आरोपी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

इन्दौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर की डिविजनल बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में हत्या के प्रकरण में दोषसिद्ध आरोपी गंगाराम को राहत प्रदान करते हुए उसकी शेष सजा को निलंबित कर जमानत मंजूर कर ली है।

आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया गया था और मामला उच्च न्यायालय में अपील के रूप में विचाराधीन था।न्यायालय ने प्रकरण की समस्त परिस्थितियों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण किया।

मामले में अधिवक्ता हर्षित शर्मा ने अपीलार्थी की ओर से सशक्त और प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा कि अपील लंबित है और अंतिम सुनवाई में समय लगना संभावित है, ऐसी स्थिति में न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाते हुए शेष सजा का निलंबन किया जाना उचित होगा। उन्होंने प्रकरण के विधिक पहलुओं के साथ-साथ न्यायिक दृष्टांतों का हवाला देते हुए यह स्थापित करने का प्रयास किया कि आरोपी को

अंतरिम राहत प्रदान किया जाना न्यायहित में है।

राज्य की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता द्वारा आवेदन का विरोध किया गया, किन्तु न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात अभिलेखों एवं परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण किया। न्यायालय ने यह पाया कि यह मामला उन अपवाद स्वरूप स्थितियों में आता है, जहां सजा के शेष भाग का निलंबन उचित ठहराया जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आरोपी को शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया।

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अपील के अंतिम निराकरण तक आरोपी की शेष सजा स्थगित रहेगी। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए न्यायालय के समक्ष समय-समय पर उपस्थित होता रहेगा। न्यायालय द्वारा पारित यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया में संतुलन, निष्पक्षता और विधिक सिद्धांतों के समुचित अनुपालन को दर्शाता है।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर अधिवक्ता हर्षित शर्मा ने इसका श्रेय अपनी पूरी टीम को दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि टीम के सभी सदस्यों के समर्पण, गहन अध्ययन और लगातार किए गए परिश्रम का प्रतिफल है। उन्होंने विशेष रूप से अपनी टीम के सदस्य एडवोकेट सर्वेश द्विवेदी, एडवोकेट प्रशांत शर्मा और एडवोकेट वैभव वर्मा के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सभी ने एकजुट होकर मामले की तैयारी की, तथ्यों का सूक्ष्म विश्लेषण किया और मजबूत रणनीति के साथ न्यायालय के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता हर्षित शर्मा ने आगे कहा कि न्यायालय में प्रभावी पैरवी केवल विधिक ज्ञान तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके लिए निरंतर अध्ययन, केस लॉ का विश्लेषण, तथ्यों की गहराई से समझ और टीमवर्क अत्यंत आवश्यक होता है। इस मामले में टीम के प्रत्येक सदस्य ने अपनी भूमिका का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन किया, जिसके परिणामस्वरूप यह सकारात्मक निर्णय प्राप्त हुआ।

यह निर्णय न केवल संबंधित आरोपी के लिए राहत का कारण बना है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले में तथ्यों, परिस्थितियों और विधिक सिद्धांतों का संतुलित मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही, यह निर्णय इस बात का भी उदाहरण है कि सक्षम एवं समर्पित अधिवक्ताओं की प्रभावी पैरवी से न्यायालय से उचित राहत प्राप्त की जा सकती है।

कर साथी एआई चैटबॉट देगा हर उलझन का जवाब, करदाताओं को मिलेगी राहत

अब आयकर रिटर्न भरना हुआ आसान

इन्दौर। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की प्रक्रिया अब करदाताओं के लिए सिरदर्द नहीं रहेगी। आयकर विभाग ने तकनीक का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए एक कदम उठाया है।

विभाग ने कर साथी नाम से एक एआई आधारित चैटबॉट पेश किया है। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी और कर से जुड़े कठिन नियमों, प्रपत्रों (फॉर्म) और जमा करने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल भाषा में समझाएगी। ग्वालियर के व्यापारिक और वेतनभोगी वर्ग के लिए यह सुविधा एक डिजिटल मार्गदर्शक की तरह काम करेगी।

कर साथी आयकर विभाग के नए पोर्टल का एक अभिन्न अंग है। इसे विशेष रूप से करदाताओं के मन में उठने वाले तत्काल प्रश्नों के उत्तर देने और रिटर्न भरने के अनुभव को सहज बनाने के लिए विकसित किया गया है। अक्सर देखा गया है कि अधूरी या अस्पष्ट जानकारी के कारण लोग रिटर्न

भरने में देरी करते हैं या गलतियां कर बैठते हैं। सीए आशीष पारेख के मुताबिक यह चैटबॉट उस समस्या को खत्म कर देगा जहां करदाताओं को छोटी-छोटी जानकारी के लिए परेशान होना पड़ता था। यह करदाताओं को उनकी जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से समझने में सहायता करेगा।

एक ही स्थान पर मिलेंगी सारी सुविधाएं

यह एआई चैटबॉट आयकर विभाग की नई वेबसाइट के साथ मिलकर कार्य करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां प्रपत्र, चालान, ई-भुगतान और ई-सत्यापन जैसी सभी आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। अब करदाताओं को अलग-अलग वेब पृष्ठों पर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। यह रीयल-टाइम में जवाब देता है, जिससे छोटे-मोटे संदेहों के लिए बाहर के सलाहकारों पर निर्भरता कम हो जाएगी।

कठिन शब्दों से मुक्ति और सटीक मार्गदर्शन

आयकर कानून में उपयोग होने वाले शब्द अक्सर आम लोगों के लिए समझना कठिन होते हैं। कर साथी इन कठिन शब्दों, नए कर स्लैब और छूट (डिडक्शन) को बेहद सरल भाषा में समझाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह उपयोगकर्ताओं को रिटर्न भरने के दौरान चरण-दर-चरण निर्देश देता है, जिससे संभावित गलतियों की पहचान पहले ही हो जाती है। इससे गलत रिटर्न भरने के कारण लगने वाले जुर्माने का जोखिम भी न्यूनतम हो जाता है।

आम नागरिक और लघु उद्योगों को लाभ

यह सुविधा विशेष रूप से आम लोगों और ग्वालियर के छोटे व्यवसायियों के लिए वरदान सिद्ध होगी। यह आयकर विभाग के दृष्टिकोण में आए बड़े बदलाव को दर्शाता है। अब विभाग का मुख्य बल केवल दंड लगाने पर नहीं, बल्कि करदाताओं को अनजाने में होने वाली गलतियों से रोकने पर है, ताकि समस्या उत्पन्न होने से पहले ही उसका समाधान खोजा जा सके। ग्वालियर के करदाता अब किसी भी समय, चाहे वह आधी रात ही क्यों न हो, अपनी शंकाओं का समाधान इस डिजिटल मित्र से प्राप्त कर सकेंगे।

कार्टून कोना